न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पिठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या–56/2013
तारीख निर्णय– 26/12/2019

वादीगण

1. मृतक मोतीसिंह पुत्र रामसिंह के कायम मुकाम व वारिसान
    1. बाबुसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
    2. फतेहसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
    3. परबतसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
    4. श्रवणसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
    5. अनोपसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
    6. सजनकंवर पत्नी स्व मोतीसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र रामसिंह
3. नारसिंह पुत्र रामसिंह

जातिगण–राजूपत निवासीगण–गुडा देवदान मेडतियान तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, देसूरी जिला–पाली(राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज.काश्त.अधि. 1955 सपठित धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1– वादीगण की ओर से– वकील दिनेश कुमार माली उपस्थित ।
2–प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार देसूरी उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः– 26/12/2019**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गांव बागोल पटवार हल्का बागोल तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज.) के पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी की कृषि भूमि की ... क्रमांक रेवेन्यू/475 दिनांक 11/07/1980 को नियमन करने वादीगण के ... खातेदारी हक अधिकार की इन्द्राज की गई थी, जिसका भू–अधिकार अभिलेख ... नामान्तरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 के जरिये इन्द्राज किया जाकर बतौर खातेदार वादीगण के नाम की दर्ज की गई। प्रमाण मे नामान्तरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 2 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रस्तुत है। दौराने सेटलमेंट पुराने खसरा संख्या 2 के नये खसरा नम्बर 39/1501 क्षेत्रफल 0.5000हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 36/1499 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम बनाये गये। प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है।

यह है कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारीयों के द्वारा वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त कृषि भूमि को वादीगण के खातेदारी हक अधिकार में दर्ज करके खतौनी बंदोबस्त जारी करनी थी लेकिन सेटलमेंट विभाग के अधिकारीगण के द्वारा सेवन और भूल के कारण वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी राज्य सरकार के सिवाय चक खाते में इन्द्राज कर दी गई जबकि वादग्रस्त आराजी को वादीगण के नाम नियमन की जाकर खातेदारी में दर्ज करने से लेकर वादीगण आज तक बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त करते आ रहा है। वादीगण ने किसान कार्ड बनवाने के लिए वादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखों की प्रतिलिपियॉं प्राप्त करने के लिये पटवारी हल्का बागोल से संपर्क किया तो जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजी वादिगण के खातेदारी हक अधिकार की इन्द्राज नही होकर भू–अधिकार अभिलेखो मे सिवाय चक खाते में इन्द्राज है।जिस पर प्रतिवादी के प्रतिनिधि पटवारी हल्का वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकियॉं देते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी में निहित खातेदारी हक अधिकारों को चुनौती दी, जिससे वादीगण के पास वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को निहित खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा और सुरक्षा के लिये वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त और कोई सहारा नही होने से वादीगण का यह वाद वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकार घोषित करने व बेदखल करने से रोकने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88, 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। तथा प्रतिवादी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाकर दो माह की अवधि के बाद वाद प्रस्तुत करना होता है,लेकिन प्रतिवादी और प्रतिवादी के प्रतिनिधियों द्वारा वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने के लिए बार बार धमकियॉं देने से वाद स्थई निषेधाज्ञा बाबत आवश्यक प्रकृति का होने से अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी में छुट प्राप्त करने हुए बाद अनुमति के यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन व वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार, देसूरी [illegible] कर निवेदन किया मुतबित नामान्तरकरण संख्या 666 दिनांक 09.06.1981 [illegible]ह, मोहनसिंह, नारसिंह पिता रामसिंह राजपूत के नाम खसरा नम्[illegible] बिस्वा अंकित है। मुताबित मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 36/1499 रकबा 0.51 व 39/1501 रकबा 0.50 हैक्टर बने है इसके अलावा और भी नवीन खसरा नम्बर बनाये ग[illegible] है लेकिन गत खसरा नम्बर 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

का नियमित किया गया। रकबा का तरमीन नक्शा संलग्न नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसके नवीन खसरा कौन सा बना है।

वादीगण के वाद–पत्र एवं प्रतिवादी के जबाबदावो के अभिवचनो अनुसार न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निम्न संशोधित तनकीयात विरचित की जाकर स्पष्ट की गई–

1. कि आया वादी गांव बागोल के पुराने खसरा संख्या 2 का रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार हैं..........................वादी
2. कि आया वादी पुराने खसरा संख्या 2 के नये खसरा संख्या 37/1401, 36/1499 कुल क्षेत्रफल 01.0100 हैक्टर बने हैं जो भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है..........................वादी
3. कि आया वादी भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दोरान वादी की खातेदारी विलोपित कर सिवाय चक खाते में वादग्रस्त भूमि दर्ज किया जाना विधि विरूद्ध है................वादी
4. कि आया प्रतिवादी विवादग्रस्त आराजी का तरमीन नक्शा पेश नहीं होने से वादी का वाद खारीज हैं....................प्रतिवादी

प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू–1 नारसिंह, पी.डब्ल्यू–2 मोहनसिंह बयान न्यायालय मे लेखबंद्ध कराये जाकर परीक्षित कराये गये एवं प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य मे गवाह प्रतिवादी महेन्द्रसिंह पटवारी हल्का बागोल के बयान न्यायालय मे लेखबद्ध कराये जाकर परीक्षित कराये गये।

बहस वकील वादी व सरकारी पैराकार तहसीलदार,देसूरी की सुनी गई। वादीगण का कायम मुकाम प्रा0प. दिनांक–26/11/2019 को प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। वकील वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण को पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा मे से 6 बीघा 5 बिस्वा का नियमन हुआ जिसका कमांक 475 दिनांक 11/07/1980 को नियमन करने वादीगण के सयुक्त खातेदारी हक अधिकार की इन्द्राज की गई थी, जिसका भू–अधिकार अभिलेखों मे नामान्तरकरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 के जरिये इन्द्राज किया जाकर बतौर खातेदार वादीगण के नाम की दर्ज की गई। नामान्तरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 को स्वीकृत किया गया। नियमन आदेश से खातेदारी अधिकार प्राप्त है।सेटलमेंट कार्यकम के दौरान पुराने खसरा नम्बर 02 से सेटलमेंट द्वारा बनाये नवीन संख्या 39/1501 क्षेत्रफल 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 36/1499 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर मे वादीगण की खातेदारी दर्ज कर सिवाय चक [illegible] दिया गई जो कि लिपिकिय भूल थी। जबकि वादग्रस्त आराजी को [illegible] की जाकर खातेदारी में दर्ज करने से लेकर वादीगण आज तक [illegible] व्यवधान के कब्जा काश्त करते आ रहा है। जिसका प्रमाण स्वरूप पटवारी हल्का बा[illegible] की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.06.2016 शामिल पत्रावली है जिसमें खसरा नम्बर 39/1501 क्षेत्रफल 0.5000 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:32:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

एवं खसरा नम्बर 36/1499 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर भूमि पर मोतीसिंह पुत्र रामसिंह का स्वर्गवास होने पर इनके वारिसदार सज्जनकुवर पत्नि रामसिंह बाबुसिंह फतेहसिंह, परवतसिंह, श्रवणसिंह, अनोपसिंह पिता मोतीसिंह व मोहनसिंह पुत्र रामसिंह, नारसिंह पुत्र रामसिंह सभी मौके पर काबिज है तथा पूर्व में बेचान की हुई नहीं है यह बताया गया है। अतःसेटलमेंट विभाग को पुराने खातेदारी रिकार्ड के विपरित खातेदारी मे फैरबदल करने का अधिकार नही था। सेटलमेंट विभाग को पुराने खातेदारी रिकार्ड अनुसार खातेदारी इन्द्राज दौहराते हुए पुराने खातेदारी रिकार्ड अनुसार ही नया रिकार्ड तैयार करने मात्र का ही अधिकार सेटलमेंट को प्राप्त था। वादग्रस्त आराजियात को वादीगण की खातेदारी घोषित की जाकर उसमे पुराने हक हिस्सा अनुसार खातेदारी के हिस्से धोषित किये जाकर दावा डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपनी बहस मे तर्क दिया कि खसरा नम्बर 39/1501 क्षेत्रफल 0.5000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 36/1499 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर में से 6.05 बीघा वर्तमन में सिवाय चक दर्ज है। रिकार्ड के अनुसार व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्रमांक 475 दिनांक 11/07/1980 को नियमन करने वादीगण के सयुक्त खातेदारी इन्द्राज किया हुआ। नवीन बंदोबस्त में वादीगणों का नाम अमल दरामद न होकर सेटलमेंट द्वारा सिवाय चक दर्ज हुई है वह लिपिकिया त्रुटि से हुआ है। मौके पर कब्जा काश्त की पुष्टि पटवारी हल्का बागोल की मौका फर्द से होती है अतः नियमन शुदा भूमि वादीगणों को दी जावे तो कोई आपति नही है।

वकुलाय फरिकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर प्रकरण में तनकीवार विवेचन, विनिश्चय व निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

1. कि आया वादी गांव बागोल के पुराने खसरा संख्या 2 का रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार हैं.........................वादी
   इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। उक्त तनकी नम्बर–1 के विवेचन अनुसार पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी की कृषि भूमि को तहसीलदार के नियमन आदेश क्रमांक रेवेन्यू/475 दिनांक 11/07/1980 द्वारा किया गया एवम् नामान्तरकरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 के जरिये इन्द्राज किया जिसमें बतौर खातेदार वादीगण के नाम की दर्ज की गई। नामान्तरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वादीगण की खातेदारी की साबित होने से तनकी नं0–1 वादीगण के पक्ष मे तय की जाकर वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।
2. कि आया वादी पुराने खसरा संख्या 2 के नये खसरा संख्या 37/1401, 36/1499 कुल क्षेत्रफल 01.0100 हैक्टर बने हैं जो भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है.........................वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

तनकी में सहवन से खसरा नम्बर 37/1401 अंकित हो गया है जबकि पुराने खसरा नम्बर 2 से 37/1401 न बनकर 39/1501 बना है उसी अनुसार तनकी का निर्णय किया गया है। दौराने सेटलमेंट पुराने खसरा संख्या 2 के नये खसरा नम्बर 39/1501 क्षेत्रफल 0.5000हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 36/1499 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम बनाये गये जो मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा कब्जा काश्त प्रमाण स्वरूप पटवारी हल्का बागोल की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.06.2016 से पुराने रकबा से नया रकबा का भाग और हाल खसरा पुराने खसरा संख्या 2 से बनना प्रमाणित होने से तनकी नं0–2 वादीगण के पक्ष मे तय की जाकर वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

3. कि आया वादी भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दोरान वादी की खातेदारी विलोपित कर सिवाय चक खाते में वादग्रस्त भूमि दर्ज किया जाना विधि विरूद्ध है.................वादी

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्ताबेज का अवलोकन किया गया। वादीगण का पुराने खसरा नम्बर 2 में से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का नियमन तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक रेवेन्यू/475 दिनांक 11/07/1980 द्वारा किया गया एवम् नामान्तरकरण संख्या 666 दिनांक 09/06/1981 को स्वीकृत किया गया परन्तु उक्त नामान्तरकरण का जमाबन्दी में इन्द्राज होने से रह गया एवं जमाबन्दी में उक्त भूमि सिवाय चक ही दर्ज रह गई। इसी वजह से सेटलमेंट के दौरान भी उक्त भूमि सिवाय चक ही दर्ज रही। सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा वादीगण की खातेदारी विलोपित नहीं की गई एवं ना ही किसी प्रकार इन्द्राज परिवर्तित किये गये है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में साबित नही की जा सकती है परन्तु इससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। वादी के खातेदारी अधिकार उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सबित है।

4. कि आया प्रतिवादी विवादग्रस्त आराजी का तरमीन नक्शा पेश नहीं होने से वादी का वाद खारीज हैं.....................प्रतिवादी

तनकी संख्या दो वादीगण के पक्ष मे तय करने और पटवारी की रिपोर्ट से वादीगण का कब्जा काश्त पुराने खसरा संख्या 2 से बने हाल खसरा नम्बर 39/1501 व 36/1499 बनना प्रमाणित होता है और रकबा भी समान होने से तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

इस प्रकार समस्त तनकी संख्या–1 से 2 वादी के पक्ष मे एवं तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में सिद्ध न होने पर भी वादी के खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालती है। तनकी नं0–4 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किये जाने के फलस्वरूप वादी का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92ए आर.टी.एक्ट 1955 संपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:32:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा गांव बागोल पटवार हल्का बागोल तहसील देसूरी जिला–पाली के खसरा संख्या 2 के नये खसरा नम्बर 39/1501 क्षेत्रफल 0.5000हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 36/1499 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को सिवाय चक खाते से हटाई जाकर वादीगण के सयुक्त खातेदारी हक अधिकार घोषित किया जाता है। वादीगण के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शा में तरमीम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 26/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

–: अंतिम डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :–

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली

पिठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

तारीख निर्णय– 26/12/2019

वादीगण

4. मृतक मोतीसिंह पुत्र रामसिंह के कायम मुकाम व वारिसान
   7. बाबुसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
   8. फतेहसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
   9. परबतसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
   10. श्रवणसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
   11. अनोपसिंह पुत्र स्व मोतीसिंह
   12. सजनकंवर पत्नी स्व मोतीसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र रामसिंह
6. नारसिंह पुत्र रामसिंह

जातिगण–राजूपत निवासीगण–गुडा देवदान मेडतियान तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज)

–: **विरूद्ध** :–

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, देसूरी जिला–पाली(राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज.काश्त.अधि. 1955 सपठित धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा नम्बर– राजस्व वाद संख्या–56/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री दिनेश माली अधिवक्ता मिनजानिब मुद्धईयान सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिग्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा गांव बागोल पटवार हल[illegible] तहसील देसूरी जिला–पाली के खसरा संख्या 2 के नये खसरा नम्बर 39/150 [illegible] 0.5000हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 36/1499 [illegible] 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को सिवाय चक खाते से हटाई जाकर [illegible]गण के सयुक्त खातेदारी हक अधिकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 26 माह 12 सन् 2019

मोहर (सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली))

दस्तखत

औहदा........ सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested